



बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

विकसित बिहार के 7 निश्चय

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

Advt. No. – SPMU/01/2022

सूचना

Date : 16. 09.2022

एतद द्वारा राज्य के बाहर/राज्य के अंदर निजी एवं गैर सरकारी संस्थानों के प्राचार्य/संचालक को इस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि बिहार के बाहर अवस्थित संस्थानों के लिए निर्धारित मानक (NAAC 'A' , NIRF, and NBA) पूर्ण करने वाले संस्थान तथा बिहार के अंदर वैसे संस्थान जिनका मानक UGC/AICTE/राज्य विश्वविद्यालय एवं संबधित राज्य सरकार के विभाग से प्राप्त NOC अर्हता रखने वाले संस्थानों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत नए संस्थानों के नाम एवं पाठ्यक्रमों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित सीमा तय की गई है –

- वर्तमान वार्षिक सत्र वर्ष 2022-23 के लिए – 23 सितम्बर, 2022 तक,
- आगामी वार्षिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए – 01 जनवरी से 28 फरवरी तक।

संयुक्त निदेशक (मा०शि०)

—सह—प्रभारी पदाधिकारी, SPMU

संयुक्त सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

Email Id- spmubsc@bihar.gov.in | Ph. No.- 0612-2230059